

कार्यालय प्राचार्य, मातुश्री शांताबा हजारीमलजी के. पी. संघवी



राजकीय महाविद्यालय, रेवदर



क्रं. :एफ1()स्था/रामरे/2023-24/ 1035

दि. 01.09.2023

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय के समस्त संकाय के नियमित विद्यार्थियों को आदेशित किया जाता है कि इस सत्र से 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इस हेतु समस्त संकाय सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिदिन आवश्यक रूप से विद्यार्थियों की उपस्थिति का संधारण किया जावे। छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त नियम की पालना करना सुनिश्चित करें अन्यथा वे मुख्य परीक्षा से वंचित रह जावेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की रहेगी।

प्राचार्य

प्राचार्य
मातुश्री शांताबा हजारीमलजी के. पी. संघवी
राजकीय महाविद्यालय, रेवदर (सिंगोही)
दि. 01.09.2023

क्रं. :एफ1()स्था/रामरे/2023-24/ 1035

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ

1. संबंधित अधिकारी।
2. सूचना पट्ट।
3. रक्षित।

प्राचार्य

प्राचार्य
मातुश्री शांताबा हजारीमलजी के. पी. संघवी
राजकीय महाविद्यालय, रेवदर (सिंगोही)